24/2/21

अमिन आवेदक उप०/ बहस प्रार्थना पत्र 0.22 R.9 व 151 cpc, 0.9 R.7 cpc व 0.22 R.4 cpc पर समाप्त की गयी। जो मुख्य रूप से प्रार्थना पत्रों एवं जवाबों के अनुसार रही।

प्रार्थना पत्र 0.9 R.7 व 151 cpc में प्रार्थीगण (प्रति०) का कथन है कि प्रतिवादी नं 1 लग० 3 के विरुद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई गई है। तामिल कुनीन्दा ने वादी से मिलकर कान्ता पुत्र ... के नोटिस श्रवण को व बाबू व ... के नोटिस ओमप्रकाश को दिये थे जो कि ... प्रतिवादी के परिवार जन नहीं होकर वादी के परिवारजन थे जिन्होंने जान बूझकर उक्त नोटिस लिये थे उक्त नोटिस की व्यक्तिशः तामील नहीं हुई थी प्रतिवादी नं 3 की एकतरफा कार्यवाही दि० 30/10/2019 से पूर्व में ही वह दि० .../8/2019 को फौत हो चुका था जिसकी सूचना वादी व उसके अधि० को थी फिर भी वादी व उसके अधि० द्वारा मृत्यु की सूचना न्यायालय को नहीं दी थी दि० 30/10/2019 को प्रतिवादी नं 1 लग० 3 की कार्यवाही एकतरफा कर दी गई। जिसका ज्ञान प्रतिवादीगण (प्रार्थीगण) को नहीं था। जानकारी न्यायालय में उप० होने पर दि० 21/9/20 को नकल मिलने पर उक्त एकतरफा कार्यवाही का ज्ञान होने पर ज्ञान की तिथि से यह प्रा०पत्र पेश किया है दावा घोषणा खातेदारी का है प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही को निरस्त नहीं किया गया तो वादी ...

Ruby

तामील हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिसियल जज

(2)

तथ्यों के आधार पर वादी खातेदारी प्राप्त कर लेना जिससे प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) को अकथनीय हानि होगी। इसलिए एकतरफा कार्यवाही को निरस्त कर प्रार्थीगण (प्रतिवादी) को जवाब देही का अवसर प्रदान फरमावें।

वादी (अप्रार्थी) द्वारा उक्त प्रा०पत्र का जवाब पेश किया कि प्रतिवादीगण को एकतरफा कार्यवाही की जानकारी थी। जानबूझकर न्यायालय में उपस्थित नहीं आये। तामील सही हुई थी। प्यारी की तामील उसके पुत्र श्रवण से हुई थी। वादी की तामील ओमप्रकाश अपने परिवार का व्यक्ति होने से तामील करवाई गई। प्यारी के वारिसान अभी पक्षकार ही नहीं थे उन्होंने भी प्रा०पत्र पेश किया गया था जबकि उन्हें अभी तक रिकॉर्ड पर ही नहीं लिया गया था। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र O.22 R.4 cpc में वादी (प्रार्थी) का कथन है कि प्रतिवादी नं. 3 प्यारी की मृत्यु दि० 7/8/2019 को हो चुकी थी जिसके वारिसान श्रवण, छोटू पिता प्यारी, ग्यारसी पत्नी प्यारी है। प्रतिवादी नं. 3 प्यारी की मृत्यु लगभग एक वर्ष पहले हो चुकी थी वादी अनपढ़ व्यक्ति है वादी को प्रतिवादी के वारिसान का पता नहीं चल सका। बड़ी मुश्किल से प्रतिवादी नं. 3 के वारिसान का मालूम किया उसके बाद सम्पूर्ण लॉकडाउन होने से मृत्यु की सूचना नहीं दे सका इसलिए प्रा०पत्र पेश नहीं किया जा सका। अतः उक्त प्रकरण में मृतक के जायज वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाकर अबेटमेंट को निरस्त फरमाया जावे। साथ में प्रा०पत्र दफा 5 लि. एक्ट प्रस्तुत किया।

प्रतिवादी (अप्रार्थीगण) द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादी गरीब व अनपढ़ काश्तकार होना व वादी व मृतक प्रतिवादीगण एक ही परिवार के होने के कारण उसके वारिसान का पता न होना व बड़ी मुश्किल से वारिसान

Ruby

तामील हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज

(3)

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

का पता पड़ना व मृत्यु के लगभग 7 माह बाद लॉक डाउन दि० 23/3/2020 से लोगों के समय पर्याप्त समय मिलने के कारण सम्पूर्ण उजरात गलत व असत्य है प्रार्थना पत्र की इस्तदुआ गलत है स्वीकार योग्य नहीं है वादी को कानूनन 90 दिवस के भीतर मृतक के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने के विधिक प्रावधान है अन्यथा वाद स्वत: ही उपशमित हो जाता है वादी ने उपशमित कार्यवाही को निरस्त करने बाबत भी इस्तदुआ नहीं की है वादी व प्रतिवादी के पिता सगे भाई है व पैतृक आराजी में घोषणा का अनुतोष चाहा है जो मृतक प्यासी का अविभाजित हिस्सा है इसलिए मृतक प्रतिवादी नं. 3 के वारिसान तक वाद उपशमित होकर सम्पूर्ण वाद उपशमित हो चुका है अत: प्रा०पत्र O.22 R.4 CPC खारिज फरमाया जावे जवाब के साथ दफा 5 लि० एक्ट व भी जवाब पेश किया है

प्रार्थना पत्र O.22 R.9 व 151 CPC में प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) का कथन है कि उक्त उनवानी प्रकरण में प्रतिवादी नं. 3 प्यासी की मृत्यु दि० 09/8/2019 को ग्राम भोरखाई में हो चुकी है वादी व मृतक प्यासी पुत्र छीतर एक ही परिवारजन की सन्तान है व वादी एवं प्रतिवादी की पैतृक आराजीयात बाबत घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद न्यायालय हाजा में जेरकार है जिसमें मृतक का हिस्सा अविभाजित है व वादी ने देरीना का कारण भी दिन प्रतिदिन के हिसाब से प्रस्तुत नहीं किया है मृतक प्यासी की मृत्यु दि० 09/8/2019, 9/11/2019 के बाद उपशमित कार्यवाही को निरस्त करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है वादी का वाद स्वत: ही उपशमित हो चुका है इसलिए सम्पूर्ण वाद को अबेट किया जाना न्यायोचित है अत: प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर

सम्पूर्ण वाद अबेट फरमाये जाने की कृपा करें।

उक्त प्रा०पत्र का जवाब पेश कर अप्रार्थी (वादी) ने निवेदन किया कि वाद में पक्षकार घासी पुत्र कीतर की मृत्यु दि० 09/8/19 को हुई थी अतः मृत्यु वारिसान की जानकारी कर दि० 13.10.2020 को प्रा०पत्र O.22 R.4 CPC का पेश किया। उक्त प्रा०पत्र उसके वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने बाबत पेश किया है अर्थात प्रार्थना पत्र O.9 R.7 CPC का दि० 13/10/2020 को पेश किया गया था। उक्त प्रा०पत्र स्वीकार किये बिना वाद में कोई कार्यवाही में आगे नहीं लिया जा सकता है अतः प्रा०पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया बहस पर मनन किया। उपरोक्त तीनों प्रार्थना पत्रों का निम्नानुसार एक साथ ही निर्णय किया जा रहा है।

वादी रामचन्द्र द्वारा प्रतिवादी कान्ता, बाबू पि० भैरु व घासी पुत्र कीतर के विरुद्ध वाद घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दि० 12/7/2017 को पेश किया। प्रतिवादी नं. 1,2 के सम्मनों की तामील ओमप्रकाश नाम के व्यक्ति को करवाई है तथा प्रतिवादी 3 की तामील श्रवण को करवाई गई है प्रतिवादी नं. 3 घासी पुत्र कीतर की मृत्यु दिनांक 09/8/2019 को ही होना आवपक्ष कह रहे हैं प्रतिवादी नं. 1 व 3 के विरुद्ध कार्यवाही एकतरफा दिनांक 30/10/2019 को हुई है जबकि प्रतिवादी नं. 3 की मृत्यु तो दि० 09/8/2019 को ही हो गई थी वादी

हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य होना जाहिर है। वादी भी इस बात को स्वीकार कर रहा है। प्रतिवादी नं. 3 के कायम मुकाम की दरख्वास्त उसकी मृत्यु दि० 09/8/2019 से दिनांक 09/11/2019 के मध्य ही पेश कर देनी चाहिए थी। जो कि दिनांक 13/10/2020 को पेश की है जिसमें कॉविड-19 लॉक डाउन का हवाला देते हुए देरी को कन्डोन करवाना चाहता है जबकि प्रतिवादी नं. 3 की मृत्यु दि० 09/8/2019 को होने के लगभग 7-8 माह बाद लॉक डाउन लगा है अर्थात् वादी द्वारा गलत तथ्य पेश कर प्रार्थना पत्र O.22 R.4 CPC पेश किया है जो कि महज प्रकरण को देरीना करने की गरज से पेश किया जाना लगता है। प्रतिवादीगण की तामील में जिस ओमप्रकाश नाम के व्यक्ति को सम्मन दिया गया है वह प्रतिवादी के परिवार का नहीं होकर वादी के परिवार का है जिसे स्वयं वादी भी स्वीकार कर रहा है इसलिए तामील सही होना नहीं माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण के विरुद्ध की गई कार्यवाही एकतरफा दि० 30/10/2019 को निरस्त किया जाकर प्रतिवादीगण को जवाब देने का अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत है। वादी का यह कथन भी स्वीकार किए जाने या विश्वास योग्य नहीं कि "उसने बड़ी मुश्किल से प्रतिवादी नं. 3 के वारिसान का मालूम किया। हमला बर वारिसान

(Pandey)

का पता (मालूम) नहीं चलने से व लॉक डाउन के कारण प्रतिवादी नं: 3 की मृत्यु की सूचना नहीं दे पाया तथा प्रार्थना पत्र O.22 R.4 CPC देरी से पेश किया है" जबकि वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य होना, एक ही गांव में निवास किया जाना जाहिर है वादी द्वारा देरी का कोई युक्तियुक्त कारण नहीं बताया है उसकी मृत्यु की तिथि से प्रार्थना पत्र पेश करने की अवधि का प्रतिदिन का हिसाब उसको स्पष्ट करना चाहिए था। यहां तक कि वादी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करना तो दूर रहा उसके द्वारा प्रतिवादी नं: 3 की मृत्यु की सूचना तक भी न्यायालय को दिया जाना उचित नहीं समझा है कानूनन प्रतिवादी की मृत्यु दि० 09/8/2019 से 90 दिवस के अन्दर न्यायालय को सूचित कर प्रार्थना पत्र कायम मुकाम पेश कर देना चाहिए था लेकिन वादी द्वारा ऐसा नहीं कर कानूनी भूल की है ऐसी स्थिति में वाद का Abate (उपशमित) हो जाने से नकारा नहीं जा सकता है प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र O.22 R.9 व 151 CPC स्वीकार योग्य पाया जाता है

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) का प्रार्थना पत्र O.9 R.9 CPC स्वीकार किया जाता है वादी (प्रार्थी) का प्रार्थना पत्र O.22R.4 CPC संधारणीय नहीं होने व गलत तथ्यों के आधार पर पेश किये जाने के फलस्वरूप खारिज किया

Rulay

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज (7)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जाता है। तथा प्रार्थना पत्र O.22 R.9 व 151 CPC प्रार्थीगण (प्रतिवादी) स्वीकार किया जाकर वाद वादी उपशमन (Abate) हो जाने के कारण खारिज किया जाता है पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। हुक्म आज दि० 24/2/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।	
	Ruby उपजिलाधिकारी टोडाभीम (करौली)	